अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, अजमेर

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

अविप्रा AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY

UBN No -: AJD2021SLOB00014

निविदा सूचना संख्या :–05/2020/21 दिनांकः–05/2020/21 निविदा शुल्क रू. :– 500.00

आवेदक का नाम :–..............................निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अवधिः– 17.07.2020 से 26.07.2020

अनुमनित लागत रू :– 15.00 लाख निविदा इस कार्यालय में प्रस्तुत करने की दिनांक :– 26.07.2020

अमानत राशि रूः– 30000/– समय दोपहर :– 12.00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक :–27.07.2020 समय दोपहर :–12.00 बजे

कार्य का नामः– अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की नियोजन शाखा में दो अरबन प्लानर्स एवं एक जी. आई. एस. एक्स्पर्ट नितान्त अस्थाई तौर पर संवेदक के माध्यम से अनुबन्ध पर 01 वर्ष हेतु उपलब्ध कराने बाबत्।

क्रम संख्या	विवरण	कुल पोजीशन	दर प्रति पोजीशन प्रति माह रू.
1	**अरबन प्लानर** :– नियमन संबंधी प्रकरणों का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अविप्रा की विभिन्न योजनाओं के ले–आउट तैयार करना, निजी/गृ.नि.स. समिति की योजनाओं का आयोजना/तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार करना, भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अनुमोदन के प्रकरणों का परीक्षण व कार्यवाही, लीज डीड हेतु स्थल मानचित्र तैयार करवाना, अविप्रा के नगर नियोजन संबंधी समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार मानदण्डों के अनुसार राय/सुझाव/टिप्पणी देना।	2	
2	**जी. आई.एस. विशेषज्ञ** :– अविप्रा से संबंधित समस्त रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, जोनल, सैक्टर प्लान, बेस मेप आदि अन्य मानचित्र/प्लान तैयार करने का कार्य, राजस्व मानचित्रों का उपरोक्त तकनीकी मानचित्रों पर सुपरइम्पोजिशन का कार्य व आयोजना शाखा से संबंधित अन्य समस्त तकनीकी कार्य।	1	

नोटः– 1. अन्य शर्ते व विवरण WWW.sppp.rajasthan.gov.in, एवं www.adaajmer.org पर उपलब्ध है।
2. RTPP Act-2012 एवं RTPP Rules 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेगें।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, अजमेर

E-Mail :- ajmerada@gmail.com Contact : 0145-2627748
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada 0145-2627749

अरबन प्लानर्स एवं जी. आई. एस. एक्सपर्ट की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा

—:निविदा की शर्तेः—

ए— निविदा प्राप्ति हेतु वांछित योग्यताएंः—

1. The bidder should be a company registered under Indian companies Act, 1956 or a partnership firm registered under Indian partnership Act, 1932 or a partnership firm registered under Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958\ Amended or a similar Act of Any other State\Union. bidder should attach the Copy of certificate(s) of incorporation\copy of Registration Certificate(s)
2. Joint ventures or Consortium are NOT allowed to bid or meet the eligibility criterion. Bidder should bid on its own strength and meet all eligibility criteria. The Bidder is requried to furnish a self-declaration on letter head.
3. निविदादाता के पास आयकर (पेन नम्बर), ई.एस.आई., ई.पी.एफ, जी.एस.टी., का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1958 के अन्तर्गत लाईसेन्स श्रम विभाग द्वारा जारी Cortract labour (Regulation and abolition) act 1970 के अन्तर्गत लाईसेन्स एवं अन्य वांछित लाईसेन्स होना आवश्यक हैं।
4. निविदादाता के पास किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड प्राधिकरण में अरबन प्लानर्स, एवं जी.आई.एस. एक्सपर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने का किन्हीं 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
5. Rajasthan Transparency in public procurement (RTPP) Act-2012 एवं RTPP Rules 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेगें।

बी— अन्य शर्ते :—

1- निविदा की अवधि निविदा स्वीकृति से छः माह की अवधि हेतु होगी।

2- अरबन प्लानर्स, एवं जी.आई.एस. एक्सपर्ट की योग्यताएं एवं कार्य क्षेत्र अनुसलंग्नक प्रथम के अनुसार होगा।

3- ई.पी.एफ./ई.आई.एस व अन्य राजकीय अधिनियमों की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। नियमानुसार पी.एफ/ई.एस.आई. सम्बन्धित विभाग में जमा कराने का दायित्व निविदादाता का रहेगा। इस कार्यालय द्वारा इस राशि का पृथक से भुगतान नहीं दिया जावेगा।

4- जी.एस.टी. लागू होने पर जी.एस.टी का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा। गत माह की जी.एस.टी. की राशि राजकोष में जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही अगले माह का भुगतान किया जायेगा।

5- अनुबन्धित कन्सलटेन्ट फर्म को निविदा में अनुमानित राशि के अनुरूप नियमानुसार पांच प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराया जाना आवश्यक है।

6- उक्त सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक से अधिक कन्सलटेन्ट फर्म को एम्पेनल किया जा सकता है एक से अधिक कन्सलटेन्ट फर्मो को अनुबंधित किये जाने पर कार्यादेश रोस्टर प्रणाली से जारी किया जावेगा।

7- सफल निविदादाता को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में अवश्यतानुसार सेवाए उपलब्ध करानी होगी। विलम्ब अवधि के लिए प्रतिदिन प्रति कर्मी 500/— रू की दर से क्षतिपूर्ति राशि वसूली योग्य होगी।

8- सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जानी वाली सेवाओं से सम्बन्धित कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव के दस्तावेज आदि पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।

9- कार्य सम्पादन के दौरान किसी को काई शारीरिक एवं मानसिक क्षति होती है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्सलटेन्ट फर्म की होगी एवं कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करावाने /सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व अनुबन्धित फर्म का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

10-वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 1/2018 क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 में अंकित समस्त बिन्दु लागू होगें।

11-सेवाओं की मात्रा अविप्रा की आवश्यकतानुसार बढ़ाई /कम की जा सकती है। 01 वर्ष के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की काई गारंण्टी नहीं होगी।

12-खुली बाली आमंत्रण प्रपत्र में प्राप्त बोलियो का मूल्यांकन तकनीकी रूप से प्राप्त बोलीदाताओं में से न्यूनतम बोलीदाता के आधार पर किया जावेगा।

13-सम्बन्धित सेवाओं के कार्य कराने की जिम्मेदारी संबंधित कन्सलटेन्ट फर्म की होगी।

14-कन्सलटेन्ट फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी कन्सलटेन्ट फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

15-निविदादाता को उपरोक्त "ए" में वांछित योग्यताओं संबंधी आवश्यक प्रमाण– पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होगें।

16-टेण्डर शुल्क, धरोहर राशि ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा। इनके ऑनलाईन जमा के अभाव में टेण्डर निरस्त माना जायेगा। बोली प्रतिभूति, बैंक गारंटी के माध्यम से भी जमा करवायी जा सकेगी।

17-किसी बिन्दु पर विवाद होने पर आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी न्याय वाद के लिए न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

18-सेवाओं का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।

19-अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रतिमाह पाँच तारीख तक बिल प्रस्तुत किया जावेगा। पारिश्रमिक समय पर भुगतान की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। समय पर भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। पारिश्रमिक भुगतान अनिवार्य रूप से सम्बन्धितों के बैंक खातो में ही किया जायेगा तथा जमा करायी गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस बाबत् सन्तुष्टि होने पर पर ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

20-किसी भी निविदा/निविदाओं को बिना कारण बतायें अस्वीकृत /स्वीकृत करने का अधिकार कार्यालय अविप्रा, अजमेर को होगा।

21-सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा में किसी भी शर्त को जोड़ने या हटाने का अधिकार निविदादाता को नही होगा।

22- ALL the provisions of the Rajsthan Transparency in Public Procurement Act. 2012 and RTPP Rules 2013 will be applicable on this tender. If there is any contradictions in existing conditions, then provisions of The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012 and Rules 2013 shall be applicable.

23-अनुबन्ध की अवधि Rajasthan Transparency in public procurement (RTPP) Act-2012 Rules 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ायी जा सकेगी।

24-Rajasthan Transparency in public procurement (RTPP) Act-2012 की धारा 38 के अनुसार अपील करने पर ।ददमगनतम.६ एवं फार्म संख्या 1 भरकर एंव हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

25- बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने/पोर्टल पर अपलोड करने के 3 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना–पत्र सदस्य सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रत्युतर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 कार्य दिवस में दे दिया जावेगा।

26- Rajasthan Transparency in public procurement (RTPP) Act-2012 प्रावधानों के अनुसार निविदा की समस्त शर्तो का अधिकारीयों/कार्मिकों द्वारा एवं समस्त बिडर द्वारा सत्य निष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

27-Rajasthan Transparency in public procurement (RTPP) Act-2012 के Section-38 के तहत कोई भी बिडर जिसे यह प्रतीत होता है कि इस बिड का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

28- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य काई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

29- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियाजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

30- यदि किसी संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी आर नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को क्मइंत कराने की कार्यवाही करेगी।

31- Software along with necessary licenses to be brought in by hired personnel only.

बोलीदाताओं के लिये निर्देश

1. निविदादाता द्वारा निविदा, वेबसाईट WWW.sppp.rajasthan.gov.in, व www.adaajmer.org से डाउनलोड की जावेंगी।
2. बोली Single stage(Two- part) पद्धति से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाए जाने वाले बोलिदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
3. (i) निविदा प्रपत्र में से वित्तीय बिड का प्रपत्र आवश्यक पूर्ति कर, पृथक लिफाफे में मोहरबन्द कर उस लिफाफे पर कार्य का नाम अरबन प्लानर एवं जी. आई एस एक्सपर्ट आपूर्ति कार्य की वित्तीय बिड" अंकित करना है।

   (ii) निविदा प्रपत्र के शेष समस्त पृष्ठ व संलग्नक आवश्यक पूर्ति का पृथक लिफाफ में मोहरबन्द कर उस लिफाफे पर "अरबन प्लानर व जी आई एस एक्स्पर्ट आपूर्ति की तकनीकी बिड "अंकित करना है। निविदा शुल्क व अमानत राशि जमा के साक्ष्य इस लिफाफे में रखने हैं।

   (iii) उक्त दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में रखकर उस लिफाफ पर " अरबन प्लानर व जी.आई.एस एक्स्पर्ट आपूर्ति हेतु बिड" लिखना है।

   (iv) उक्त तीनों लिफाफों पर निविदादाता का नाम व पता भी लिखना है।
4. तकनीकी निविदा प्रपत्र के क्र.सं. 1 से 11 तक उल्लेखित समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
5. अनुबन्धित अनुमोदित फर्म/ऐजेन्सी द्वारा, निविदा संबंधित कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
6. सफल बोलीदाता को दर स्वीकृत पत्र प्रपत्र होने के सात दिवस में स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
7. अरबन प्लानर एवं जी.आई.एस स्पेशलिस्ट सेवाओं हेतु योग्यता एवं कार्यक्षेत्र अनुसंलग्नक–प्रथम के अनुसार हैं। अविप्रा की आवश्यकतानुसार सेवाओं की मात्रा में बढ़ोतरी/कमी की जा सकती है। सेवाओं की न्यूनतम राशि/ मात्रा की कोई गारण्टी नहीं है।
8. तकनीकी बिड मूल्यांकन में योग्य पाये गये सभी निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथी सूचित की जावेगी। वित्तीय निविदा सभी योग्य निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों, (जो उपस्थित रहना चाहते हो) के समक्ष खोली जावेंगी।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि दिनांक .... को दोपहर 12.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करानी होगी। निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बिड आगामी कार्यदिवस को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
10. निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों की सहमति स्वरूप निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर करने हैं/समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जानी है।

fufonknkrk ds gLrk{kj

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

Form Fin. Bid.

अरबन प्लॉनर एवं जी.आई.एस. विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सेवा कार्य (01 वर्ष हेतु)

(भाग–ब)

Price Schedule (वित्तीय बिड)

क्र. स.	पोजीशन का विवरण	अनुमानित पोजिशन	कन्सल्टेन्सी फीस/ सर्विस चार्जेस प्रतिपोजिशन प्रतिमाह (बोलीदाता द्वारा भरी जानी है।)
1	2	3	4
1	अरबन प्लानर	2	
2	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	1	
योग			

1. यदि जी.एस.टी. लागू हो तो जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा।
2. कन्सल्टेन्सी फीस का उल्लेख बोलीदाता द्वारा कॉलम संख्या –06 में आवश्यक रुप से दिया जाना है। कन्सल्टेन्सी फीस अंको एवं शब्दो में अंकित करनी होगी। अंको एवं शब्दो में अन्तर तथा किसी प्रकार की कोई कॉट–छॉट एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। कन्सलटेन्सी फीस/सर्विस चार्जेज की दर प्रति पोजीशन प्रतिमाह की दर अंकित करनी है। यह दर पूर्ण रु 1.00 से कम अंकित नहीं की जावे, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
3. बोली के साथ संलग्न शर्तो एंव कार्य विवरण के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत है।
4. इस प्रपत्र को पृथक लिफाफे में मोहर बन्द करना है, उनके ऊपर कार्य का नाम लिखना है एवं वित्तीय बिड भी लिखना है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

फर्म का नाम व पता..........................

दूरभाष का मो.नं. ....

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, अजमेर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

अविप्रा AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

भाग– (अ) तकनीकी निविदा

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में अरबन प्लानर्स एवं जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बोलीदाता की योग्यताएं एवं सामान्य शर्ते :–

क्र.स.	तकनीकी योग्यताएं	वांछित प्रपत्र
1	कम्पनी/फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन सं./दूरभाष सं.	रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न कराना है।
2	बोलीदाता को किसी सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ निगम बोर्ड/प्राधिकरण में अरबन प्लानर्स/जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध कराने का किन्ही 02 वर्षो का अनुभव आवश्यक है।	कार्यादेशो/अनुभव प्रमाण–पत्रो की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जानी है।
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र	स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जानी है।
4	श्रम विभाग द्वारा जारी Contract Labor license होना आवश्यक है।	श्रम विभाग द्वारा जारी Contract Labor license की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
5	बोली प्रतिभूति राशि रु 30,000/– जमा का विवरण	विवरण संलग्न किया जाना है।
6	संलग्न Annexure- A,B,C &D के अनुसार घोषणा पत्र।	हस्तांतरित संलग्न किया जाना है।
7	बोलीदाता फर्म को ई.एस.आई. एवं पी.एफ. विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।	ESI एवं PF विभाग में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
8	बोलीदाता के पास स्वयं का अथवा फर्म का आयकर PAN नं. होना आवश्यक हैं।	PAN कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
9	बोलीदाता फर्म को किसी राजकीय संस्था/बोर्ड/कॉपरेशन से ब्लेक–लिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
10	बोलीदाता Joint Ventures or Consortium नहीं होने चाहिए।	कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर इस बाबत् स्वघोषणा प्रस्तुत की जानी है।
11	बोलीदाता का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।	बोलीदाता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अविप्रा AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY

टोडरमल मार्ग, अजमेर

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Contact : 0145-2627748
0145-2627749
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

बोलदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र.स.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5.	अन्य कर (पैन सं.)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोट :– केवल तकनीकी योग्यताओ को पूर्ण करने वाले बोलीदाताओ की वित्तीय बोलियां ही खोली जावेगी। तकनीकी योग्यताओ में योग्य नही पाये जाने वाले बोलीदाताओ की वित्तीय बोलियां नही खोली जावेगी।

मै... पुत्र श्री .... सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त अंकित/संलग्न विवरण सत्य है तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्त स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता.............................

दूरभाष का मो.नं. ....

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, अजमेर

अविप्रा AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

अनुसंलग्नक प्रथम

अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ, आटोकैड ऑपरेटर की योग्यताएँ एवं कार्य क्षेत्र का विवरण :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	योग्यता	कार्य क्षेत्र
1	अरबन प्लानर	(1) टाउन/सिटी/अरबन/रिजन/हाउसिंग/कन्ट्री/इन्वायरमेन्ट/ट्रान्सपोर्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/रूरल में आयोजना में मान्यता प्राप्त विश्यविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ आयोजना के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव एवं स्नातक की उपाधि के साथ आयोजना के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	नियम संबंधी प्रकरणों का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अविप्रा की विभिन्न योजनाओं के ले–आउट तैयार करना, निजी/गृ.नि.स. समिति की योजनाओं का आयोजना/तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार करना, भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अनुमोदन के प्रकरणों का परीक्षण व कार्यवाही, लीज डीड हेतु स्थल मानचित्र तैयार करवाना, अविप्रा के नगर नियोजन संबंधी समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार मानदण्डों के अनुसार राय/सुझाव/टिप्पणी देना।
2	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	(1) जियोग्राफिकल इन्फॉमेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ जियोग्राफिकल इन्र्फोमेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर एक वर्ष का अनुभव। (2) जियोग्राफिकल इन्र्फोमेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में डिप्लोमा के साथ जियोग्राफिकल इन्र्फोमेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर एक वर्ष का अनुभव।	अविप्रा से संबंधित समस्त रिजनल प्लान, मास्टर प्लान, जॉनल, सैक्टर प्लान, बेस मेप आदि अन्य मानचित्र/प्लान तैयार करने का कार्य, राजस्व मानिचित्रों का उपरोक्त तकनीकी मानचित्रों पर सुपरइम्पोजिशन का कार्य व अन्य समस्त आयोजना शाखा से संबंधित तकनीकी कार्य।

FROM No. 1
[see rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act. 2012

Appeal No...of ....Before the .... (First /second Appellate authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s) :

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/ authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, Action or omission of the procuring Entity In contravention to the provisions of the Act By which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address Of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed With the appeal:
6. Grounds of appeal: ....
   (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place:...

Date:...

DC(Admin)
ADA, Ajmer

Appellant's Signature

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest. -

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to :

  (a) Have controlling partners/shareholders in common; or

  (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any them; or

  (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

  (d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

  (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

  (f) The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or service that subject of the bid; or

  (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

DC(Admin)
ADA, Ajmer

Signature of Bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my / our Bid submitted to .... for procurement or .... in response to their Notice inviting Bids No................ dated...................... I/we .... hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer] not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of Bidde

Name :

Designation :

Address :

DC (Admin)
ADA, Ajmer

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is..................................
The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal :-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases :-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions Limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals :-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

DC(Admin)
ADA,Ajmer

Signature of Bidder(in case of appeal)

(6) Fee for filing Appeal :-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal :-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant record or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause © above shall also be placed on the state public procurement portal.

DC(Admin)
ADA, Ajmer

Signature of Bidder(in case of appeal)

Annexure D : Additional Conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

i. If there is a discrepancy between the unit price and thebe total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(1) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding document.

(2) In case of procurement of Goods or service, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods/services of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest. Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.